

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश

सभी विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/नगरीय निकायों/नगर निगम/नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन एवं अन्य सभी तकनीकी प्रकरण क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालयों तथा मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर को राज-काज पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रकरण ऑनलाईन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में संबंधित विभाग से नवीन प्रकरण ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त होने पर ही प्रकरणों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण/पत्रावली ऑनलाईन प्राप्त नहीं होने पर ऑनलाईन ही भिजवाये जाने हेतु मूल ही संबंधित निकाय को वापस लौटा दिये जावेंगे।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को अपने अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाओं को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर /कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर/कोटा/उदयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त _____।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6496557



Signature valid

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2024.04.04 13:01:54 IST
Reason: Approved